# निरीक्षण प्रतिवेदन

## कार्यालय का नामः- प्रखण्ड कार्यालय, तोपचांची

निरीक्षण की तिथिः-27-07-2000

दिनांक 27.07.2000 को डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, उपायुक्त, धनबाद द्वारा
प्रखण्ड कार्यालय, तोपचाँची का किये गये निरीक्षण की अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

I.I परिचय :

तोपचाँची प्रखण्ड की स्थापना दिनांक 2.10.1954 को हुई । जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 35 कि०मी० है । प्रखण्ड मुख्यालय से 7 कि०मी० की दूरी पर रेलवे स्टेशन गोमो अवस्थित है । इस प्रखण्ड के स्थापना के सम्बन्ध में कोई आधार या कागजात प्रखण्ड में उपलब्ध नहीं है । इस प्रखण्ड का कुल क्षेत्रफल 199.2 वर्ग किलोमीटर है जिसे कुल 19 ग्राम पंचायतों में विभक्त किया गया है । इस प्रखण्ड में कुल 121 ग्राम हैं जिनमें से 11 बेचिरागी ग्राम है । इस प्रखण्ड में कुल राजस्व हल्कों की संख्या- 10 है ।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इस प्रखण्ड की कुल जनसंख्या 1,11,024 है, जिनमें से अनुसूचित जाति की संख्या-12,348 एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या-7,476 है जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 11 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत है । इस प्रखण्ड से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाएँ निम्न प्रकार है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| I क। | प्रखण्ड का क्षेत्रफल | : | 199.2 वर्ग किलोमीटर |
| I ख। | कुल जनसंख्या | : | 1,11,024 |
| | अनुसूचित जाति | : | 12,348 |
| | अनुसूचित जनजाति | : | 7,476 |
| I ग। | प्रखण्ड में हल्कों की संख्या | : | 10 |
| I घ। | प्रखण्ड में पंचायतों की संख्या | : | 19 |
| I च। | ग्रामों की संख्या | : | 121 |
| | चिरागी | : | 110 |
| | बेचिरागी | : | 11 |
| I छ। | महाविद्यालय/विद्यालयों की संख्या :- | | |
| | महाविद्यालय | : | 1 |
| | उच्च विद्यालय | : | 5 |
| | मध्य विद्यालय | : | 25 |
| | प्राथमिक विद्यालय | : | 67 |
| I ज। | बैंकों की संख्या | : | 7 |
| I झ। | कृषि योग्य भूमि | : | 8588.30 हेक्टर |

लगातार-2

| | | |
|---|---|---|
| ।ट। वन भूमि | : | 3088.4 हेक्टर |
| ।ठ। बंजर भूमि | : | 15.4 हेक्टर |
| ।ड। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या | : | 3 |
| ।ट। प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या | : | 12 |
| ।त। पशु चिकित्सालयों की संख्या | : | 2 |
| ।थ। लघु कृषकों की संख्या | : | 2552 |
| ।द। सीमान्त कृषकों की संख्या | : | 5104 |
| ।ध। बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या | : | 14900 |
| अनुसूचित जाति | : | 4700 |
| अनुसूचित जनजाति | : | 2200 |
| अन्य | : | 7940 |
| हैन्डीकैप्ड | : | 60 |

खण्ड कार्यालय अवस्थित नाजिर के कमरे के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उसमें काफी मात्रा में पंजी/अभिलेख आदि के बंडल बांध कर रखा हुआ है जो अस्त-व्यस्त अवस्था में रखे हुए है । खण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे सभी पंजियों/बंडलों की सूची बना कर सुव्यवस्थित ढंग से रखवाना सुनिश्चित करेंगे । सूची की एक प्रति रद्दी टोकरी में रखा जाय एवं दूसरी प्रति बंडल के ऊपर चेस्ट कर दें ताकि यह पता चल सके कि इस बंडल में कौन-कौन सा अभिलेख/पंजी है । इसका अनुपालन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

निरीक्षण के क्रम में खण्ड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के सभी कमरों की स्थिति भी ठीक उसी प्रकार पाई गई । खण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी कमरों में रखे हुए अभिलेख/पंजी की एक सूची बनाकर उसकी एक प्रति रद्दी टोकरी एवं उसकी दूसरी प्रति बंडल में चेस्ट कर दें तथा कार्यालय को साफ सुथरा ढंग से रखना सुनिश्चित करें । साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर कार्यालय के टोकरियों/अभिलेखों/वाउचरों का वर्गीकरण किया जाय ।

इसी क्रम में खण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि उनके कमरे में बहुत सारे कागजात एवं पुरानी दवाईयां अस्त-व्यस्त अवस्था में पड़ी हुई है । खण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि पुरानी दवाईयों को नियमानुसार नष्ट करने की कार्रवाई करें तथा सभी कागजातों को वर्गीकरण करते हुए सूची बनाकर उन कागजातों को बंडल में सुव्यवस्थित ढंग से रखना सुनिश्चित करें ताकि कार्यालय साफ-सुथरा रहे ।

खण्ड परिसर अवस्थित कर्मचारियों के आवासों का निरीक्षण किया गया तो उनकी स्थिति जीर्ण-शीर्ण पाई गई । खण्ड कार्यालय परिसर में

लगातार-3

एक कुआं है जिसे अगर ताक कराया जाय तो उसका पानी उपयोग लायक हो सकता है । प्रखण्ड परिसर अवस्थित अंचल गार्ड द्वारा धारित किये जा रहे भवन के निरीक्षण के दौरान प्रतिनियुक्त बी0एम0पी0-3 के जवानों द्वारा शिकायत की गई कि बरसात के मौसम में इस भवन का छत चूता है । प्रखण्ड परिसर के चहारदिवारी के बाद की कुछ जमीन को अतिक्रमण कर किसी व्यक्ति द्वारा मकान बना लिया गया है । अंचल अधिकारी, तोपचांची इसकी छानबीन कर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

**12। पूर्व निरीक्षण :**

इस प्रखण्ड का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

| क्र0 | निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | निरीक्षण की तिथि | निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि | अनुपालन की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग | 25.07.1990 | 21.09.1990 | 04.10.1990 |
| 2. | उपायुक्त, धनबाद | 13.06.1995 | 04.07.1995 | 21.08.1995 |
| 3. | उपायुक्त, धनबाद | 08.10.1998 | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 4. | उप विकास आयुक्त, धनबाद | 26.03.1992 | 07.04.1992 | 03.09.1992 |
| 5. | अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद | 26.06.1996 | अप्राप्त | अप्राप्त |
| 6. | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | 15.12.1992 | 15.12.1992 | 13.01.1993 |

निरीक्षण टिप्पणी के लिए संधारित निरीक्षण टिप्पणी के अवलोकन से पता चलता है कि इसका संधारण विधिवत नहीं किया जा रहा है । इस क्रम में कार्यालय अधीक्षक, धनबाद के लिए संधारित रक्षी संचिका को अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि उसमें मात्र दिनांक 31.1.94 की निरीक्षण टिप्पणी संधारित है तथा उसका अनुपालन नहीं किया गया है । इतना ही नहीं निरीक्षण टिप्पणी पर कार्यालय अधीक्षक का हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।

आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के लिए संधारित रक्षी संचिका के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें निरीक्षण टिप्पणी

लगातार-4

तंधारित नहीं है अपितु अनुपालन प्रतिवेदन तंधारित है । निरीक्षण टिप्पणी कहां रखा गया है, इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । यह एक गम्भीर विषय है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी की खोज कर रखी तंचिका में तंधारित करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालनीय विन्दु का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी हेतु तैयार किये गये निरीक्षण टिप्पणी के अवलोकन से पता चलता है कि उपायुक्त, धनबाद के द्वारा इस प्रखण्ड का निरीक्षण दिनांक 8.10.98 को किया गया था जिसका अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी इस कार्यालय को अप्राप्त है । इसी प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा दिनांक 26.6.96 को किये गये निरीक्षण की अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी भी इस कार्यालय को अप्राप्त है ।

श्री जे0 आर0 के0 राव, उप विकास आयुक्त, धनबाद हेतु तंधारित रखी तंचिका के अवलोकन से पता चलता है कि रखी तंचिका में निरीक्षण टिप्पणी के सभी पन्ने एक-दूसरे से सटे हुए है जिसे पढ़ने के प्रयास के क्रम में फट गये । स्पष्टत: प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इस निरीक्षण टिप्पणी को पढ़ने का प्रयास कभी भी नहीं किया गया है । निरीक्षण का अर्थ यह है कि किसी वरीय पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये मार्गदर्शन का अनुपालन सही ढंग से एवं समय सीमा के अन्दर किया जाय तो कार्यालय के कार्यों में गुणात्मक सुधार आने की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के निरीक्षण टिप्पणी को अवलोकन कर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि दिये गये मार्गदर्शन के अनुरूप अनुपालन हुआ है अथवा नहीं ।

श्री अरूण कुमार सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस प्रखण्ड में दिनांक 20.5.98 से कार्यरत एवं पदस्थापित हैं । परन्तु यह दु:खद स्थिति है कि इनके द्वारा आजतक कार्यालय का एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया है । कार्यालय का निरीक्षण नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है । कार्यालय निरीक्षण से कर्मचारियों पर अपेक्षित नियंत्रण रहता है तथा कार्यों के निष्पादन में सुधार भी आता है ।

सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग रखी तंधारित की गई है परन्तु इसका रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया गया है । इन रखी तंचिका के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि सभी कागजात फटे हुए हैं, रखी तंचिका के टाईटिल पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है "अस्पष्ट" है । इतना ही नहीं रखी तंचिका का बाइन्डिंग खुला हुआ पाया गया तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाया गया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए तंधारित रखी तंचिकाओं को नये सिरे से बाईन्डिंग कराकर उसके टाइटिल पृष्ठ पर मोटे-मोटे अक्षरों में साफ-साफ अंकित किया जाय कि किन-किन निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए रखी तंचिका है । रखी तंचिका के प्रथम पृष्ठ पर अनुक्रमण करना भी सुनिश्चित

लगातार-5

करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें ।

13। प्रभार :

श्री अरूण कुमार सिंह, बि0प्र0से0, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दिनांक 20.5.98 से इस प्रखण्ड के प्रभार में हैं । इसके पूर्व श्री अविनाश कुमार सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोपचांची के रूप में पदस्थापित थे ।

14। स्थापना :

इस प्रखण्ड में पदाधिकारी/कर्मचारी/अन्य के स्थापना से सम्बन्धित स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :-

| क्र0 | पदनाम | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | 01 | 01 | — |
| 2. | प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | 02 | 02 | -- |
| 3. | प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी | 02 | 02 | — |
| 4. | प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक | 01 | 01 | — |
| 5. | ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक | 01 | 01 | — |
| 6. | प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी | 01 | 01 | — |
| 7. | प्रखण्ड कनीय अभियन्ता | 02 | 04 | -- |
| 8. | प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक | 01 | 01 | -- |
| 9. | प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी | 01 | -- | 01 |
| 10. | सहायक | 08 | 04 | 04 |
| 11. | उर्दू अनुवादक/टंकक | 03 | 03 | -- |
| 12. | जन्सेवक | 20 | 09 | 11 |

लगातार-6

| क्र0 | पदनाम | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 13. | पंचायत सेवक | 19 | 11 | 08 |
| 14. | अनुसेवक/जंजीर वाहक | 05 | 03 | 02 |
| 15. | चालक | 01 | 01 | -- |

इस प्रखण्ड में पदाधिकारी/कर्मचारी/अन्य का नाम, पदनाम एवं योगदान की तिथि निम्नप्रकार है :-

| क्र0 | नाम | पदनाम | योगदान की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री अरूण कुमार सिंह | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | 20.05.1998 |
| 2. | डा0 विनोद कुमार | प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी | 05.05.1996 |
| 3. | श्री कृष्ण कान्त मिश्रा | प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी | 10.11.1990 |
| 4. | श्री शशि भूषण कुमार | प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदा0 | 02.07.1990 |
| 5. | श्री अजय कुमार सिंह | प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी | 07.07.1999 |
| 6. | श्री तत्वेन्द्र कुमार | प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक | 20.08.1999 |
| 7. | श्री मंजूर आलम अंसारी | ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक | 14.09.1993 |
| 8. | श्री किस्टीन अंसारी | प्रधान सहायक | 07.08.1998 |
| 9. | श्री तपन कुमार मंडल | सहायक | 11.01.2000 |
| 10. | श्री मुकुन्द टुडू | सहायक | 17.12.1999 |
| 11. | श्री नवीन कुमार महतो | सहायक | 25.08.1998 |
| 12. | श्री जय प्रकाश झा | सहायक | 13.07.2000 |
| 13. | श्री मो0 अजीम उद्दीन | उर्दू अनुवादक | 30.09.1995 |
| 14. | श्री मो0 शहाब उद्दीन | सहायक उर्दू अनुवादक | 27.03.1993 |

लगातार-7

| क्र0 | नाम | पदनाम | बोगदान की तिथि |
|---|---|---|---|
| 15. | श्री विनय कुमार | हिन्दी टंकक | 06.02.1989 |
| 16. | श्री नकुल चन्द्र साव | अनुसेवक | 06.07.1967 |
| 17. | श्री हेमलाल महतो | अनुसेवक | 06.07.1967 |
| 18. | श्री अमृत कुमार महतो | अनुसेवक | 21.05.1982 |
| 19. | श्री गंगाधर प्रमाणिक | जीप चालक | 21.09.1992 |
| 20. | श्री रामाश्रय राम | जनसेवक | 06.07.1996 |
| 21. | श्री भारत नाथ सिंह | जनसेवक | 06.07.1996 |
| 22. | श्री रामानन्द प्रसाद | जनसेवक | 06.07.1996 |
| 23. | श्री मुनीलाल मंडल | जनसेवक | 06.07.1996 |
| 24. | श्री श्याम नन्दन सिन्हा | जनसेवक | 06.07.1996 |
| 25. | श्री रामचन्द्र प्रसाद | जनसेवक | 06.07.1996 |
| 26. | श्री नवी आलम | जनसेवक | 06.07.1996 |
| 27. | श्री रमजान अली | जनसेवक | 06.07.1996 |
| 28. | श्री गणेश दास | जनसेवक | 06.07.1996 |
| 29. | श्री जगनारायण सिंह | जनसेवक | अप्राप्त |
| 30. | श्री मो0 मजीद अली | पंचायत सेवक | 23.07.1997 |
| 31. | श्री मो0 नूर मोहम्मद अंसारी | पंचायत सेवक | 01.07.1997 |
| 32. | श्री बंकिम चन्द्र महथा | पंचायत सेवक | 28.07.1997 |
| 33. | श्री तुफन चन्द्र महतो | पंचायत सेवक | 17.03.1993 |

लगातार-8

| क्र0 | नाम | पदनाम | योगदान की तिथि |
|---|---|---|---|
| 34. | श्री कुशल राम महतो | पंचायत सेवक | 04.08.1997 |
| 35. | श्री दशरथ प्रसाद सिंह | पंचायत सेवक | 23.07.1997 |
| 36. | श्री नवल किशोर हाड़ी | पंचायत सेवक | 01.08.1994 |
| 37. | श्री अर्जुन पांडेय | पंचायत सेवक | 17.03.1993 |
| 38. | श्री गोपाल चन्द्र घोष | पंचायत सेवक | 22.07.1997 |
| 39. | श्री फटिक चन्द्र दास | पंचायत सेवक | 25.07.1997 |
| 40. | श्री सनातन टुडू | पंचायत सेवक | 17.03.1993 |
| 41. | श्री भुवन ठाकुर | पंचायत सेवक | 28.07.1997 |
| 42. | श्री कौशल किशोर | कनीय अभियन्ता | 25.11.1999 |
| 43. | श्री गौरी शंकर मंडल | कनीय अभियन्ता | 12.06.2000 |
| 44. | श्री राम हृदय राम | कनीय अभियन्ता | 12.06.2000 |
| 45. | श्री भगवान प्रसाद | कनीय अभियन्ता | 16.06.2000 |

निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये विवरणी को देखने से पता चलता है कि वर्त्तमान में इस प्रखण्ड में प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी का एक पद, सहायक का चार पद, जनसेवक का 11 पद, पंचायत सेवक का 8 पद एवं अनुसेवक का 2 पद रिक्त है । इन रिक्तियों को भरने के लिए जो पद जिला स्तर पर सम्भव है, उसे जिला स्थापना समिति की बैठक में रखा जाय एवं जो पद आयुक्त या राज्य स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है उसके लिए अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाय । स्थापना उप समाहर्त्ता, धनबाद तद्नुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री सुफल चन्द्र महतो, पंचायत सेवक 17.03.1993 से, श्री अर्जुन पाण्डेय, पंचायत सेवक 17.03.1993 से एवं श्री सनातन टुडू, पंचायत सेवक 17.03.1993 से इस प्रखण्ड में पदस्थापित हैं । स्पष्टत: 8 वर्षों से वे सभी एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं जिनका प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । अत: इन तीनों के स्थानान्तरण हेतु अगली स्थापना समिति की बैठक में रखी जाय । जिला पंचायती राज पदाधिकारी, धनबाद तद्नुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

लगातार-9

15। पत्राचार :

पत्राचार पर नियंत्रण रखने के लिए इस प्रखण्ड में निम्नांकित पंजी संधारित की गई है :-

।क। अनुक्रमणिका पंजी
।ख। प्राप्त पत्रों की पंजी
।ग। निर्गत पत्रों की पंजी
।घ। सहायकों का कर्म पुस्तिका
।च। लम्बित पत्रों की पंजी
।छ। प्रतिवेदन एवं विवरणी पंजी

।क। अनुक्रमणिका पंजी :-

अनुक्रमणिका पंजी संधारित पाई गई परन्तु इस पंजी में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापन एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे पंजी में अपना हस्ताक्षर अंकित करते हुए सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे । अनुक्रमणिका पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि इस प्रखण्ड में कुल 33 विषयों पर संचिकाएँ संधारित है । प्रधान सहायक से यह पूछा गया कि इस प्रखण्ड में कुल कितने संचिकायें है, जवाब देने में असमर्थ रहे । यह बहुत ही गम्भीर विषय है । प्रधान सहायक इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

।ख। प्राप्त पत्रों की पंजी :-

प्राप्त पत्रों की पंजी विहित प्रपत्र में में संधारित की गई है जो दो भागों में है यथा मुख्य एवं साधारण । विगत तीन वर्षों में प्राप्त पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

| वर्ष | प्राप्त पत्रों की संख्या |
|---|---|
| 1998-99 | 692 |
| 1999-2000 | 446 |
| 2000-2001 | 282 ।दिनांक 26.7.2000 तक। |

लगातार-10

प्राप्त पत्रों की बंजी एवं निरीक्षण हेतु दिये गये विवरणी को मिलान करने से यह पता चलता है कि प्राप्त पत्रों की बंजी में वर्ष 2000-2001 कुल प्राप्त पत्रों की संख्या-218 है जबकि विवरणी में 282 दर्शाया गया है । इस प्रकार विवरणी में भ्रामक आँकड़े अंकित किया गया है । प्रधान सहायक इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करेंगें ।

(ग) निर्गत पत्रों की बंजी :-

निर्गत पत्रों की बंजी विहित प्रपत्र में संधारित है जो दो भागों में है यथा मुख्य एवं साधारण । विगत तीन वर्षों में निर्गत पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

| वर्ष | निर्गत पत्रों की संख्या |
|---|---|
| 1997-98 | 2784 |
| 1998-99 | 1336 |
| 99-2000 | 845 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्गत पत्रों की संख्या में काफी कमी आई है । स्पष्टतः प्रखण्ड का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है । जो कार्य नहीं होने का द्योतक है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का ध्यान इस पर आकृष्ट किया जाता है । प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की बंजी के सभी स्तंभ विधिवत भरा हुआ नहीं पाया गया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसके सभी स्तम्भ सही-सही भराने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । उल्लेखनीय है कि प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की बंजी कार्यालय का हृदयस्थली माना जाता है । इस पर नियंत्रण रहे तो पूरे कार्यालय पर नियंत्रण रहेगा ।

(घ) सहायकों की कर्म पुस्तिका :-

सभी सहायकों की कर्म पुस्तिका इस प्रखण्ड में उपलब्ध है परन्तु इसका संधारण विधिवत रूप से नहीं किया जा रहा है । उदाहरण स्वरूप श्री नवीन कुमार मल्लो, स्थापना सहायक के कर्म पुस्तिका के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनके पास कितने पत्र प्राप्त हुए हैं । यह अत्यन्त ही दुःखद स्थिति है । इसी प्रकार मो० फिरदौस अंसारी, प्रधान सहायक के कर्मपुस्तिका में कितने पत्र प्राप्त हुए हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । इतना ही नहीं इनके कर्म पुस्तिका में क्रमांक अंकित नहीं किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है वे सभी सहायकों के कर्म पुस्तिकाओं का संधारण सही ढंग से करवाना सुनिश्चित करायेंगे ताकि यह ज्ञात हो सके कि सहायक को कि तिथि को कितने प्राप्त हुए हैं ।

लगातार-11

**(च) लम्बित पत्रों की पंजी :-**

प्रखण्ड में लम्बित पत्रों की पंजी संधारित की गई है । परन्तु इसे किस आधार पर तैयार किया गया है, यह पूछने पर प्रधान सहायक द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे लम्बित पत्रों की पंजी का संधारण विधिवत ढंग से कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि पत्रों का अनुश्रवण में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो ।

**(छ) प्रतिवेदन एवं विवरणी पंजी :-**

इस प्रखण्ड में प्रतिवेदन एवं विवरणी पंजी संधारित है ।

**(6) सेवा पुस्तिका :**

सभी सात सहायकों की सेवा पुस्तिका उपलब्ध है । जीप चालक की सेवा पुस्तिका दिनांक 31.12.99 तक एवं श्री तपन कुमार मंडल, सहायक की सेवा पुस्तिका 31.12.99 तक ही सत्यापित है ।

सेवा पुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री रंगलाल राम, कनीय अभियन्ता एवं श्री सत्येन्द्र कुमार, प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक की सेवा पुस्तिका उपलब्ध है । श्री रंगलाल राम, कनीय अभियन्ता का स्थानान्तरण गोबिन्दपुर प्रखण्ड हो चुका है । अतः इनकी सेवा पुस्तिका गोबिन्दपुर प्रखण्ड भेजने की अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

इस प्रखण्ड में कुल 12 पंचायत सेवक पदस्थापित हैं जिसमें से श्री मजीद अली, बंकिम चन्द्र महथा, तुफल चन्द्र महतो, दशरथ प्रसाद सिंह, अर्जुन मांझि, गोपाल चन्द्र घोष, सनातन टुडू एवं श्री भुवन ठाकुर की सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इनके पूर्व पदस्थापित कार्यालय से सेवा पुस्तिका प्राप्त करने की अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे ।

इस प्रखण्ड में कुल 10 जनसेवक पदस्थापित हैं । परन्तु निरीक्षण हेतु जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, उसमें मात्र 9 जनसेवक के सम्बन्ध सूचना अंकित की गई है । इस सूची में श्री जगनारायण सिंह का नाम अंकित नहीं किया गया है । इस प्रखण्ड में वे कब से पदस्थापित हैं, यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को यह भी जानकारी नहीं है कि उनके प्रखण्ड में कुल कितने जनसेवक कार्यरत हैं । यह बहुत ही गम्भीर का विषय है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि श्री जगनारायण सिंह के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त की जाय कि वे कब से इस प्रखण्ड में पदस्थापित तथा अभी वे कहाँ है । इसका अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

लगातार-12

1111 लोक सभा/राज्य सभा प्रश्न :

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से यह पूछा गया कि इस प्रखण्ड में लोक सभा / राज्य सभा के लम्बित प्रश्नों की क्या स्थिति है । इस सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि यहां लोक सभा/राज्य सभा का कोई प्रश्न लम्बित नहीं है ।

1112 उच्च न्यायालय के मामले :

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से यह जानकारी मांगी गई कि उच्च न्यायालय के लम्बित मामले की स्थिति क्या है । इस सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने अवगत कराया कि उच्च न्यायालय से सम्बन्धित एक मामला लम्बित है जिसकी सूचना जिला कार्यालय को दे दी गई है ।

1113 अंकेक्षण प्रतिवेदन :

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस प्रखण्ड में कोई भी अंकेक्षण प्रतिवेदन का मामला लम्बित नहीं है । सभी अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया गया है ।

1114 मैनेजर बुक :

इस प्रखण्ड में मैनेजर बुक संधारित है ।

1115 बजट कंट्रोल बंजी :

इस प्रखण्ड में बजट कन्ट्रोल बंजी संधारित है । परन्तु इसके अवलोकन से पता चलता है कि इस बंजी में अनुक्रमण नहीं किया किया गया है । इतना ही नहीं इस बंजी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित नहीं किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस बंजी को सत्यापित एवं हस्ताक्षरित कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

1116 रोकड़ बही :

इस प्रखण्ड में रोकड़ बही संधारित है, जो दिनांक 26.7.2000 तक लिखा हुआ पाया गया तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी है । रोकड़ बही के अवलोकन से पता चलता है कि इस प्रखण्ड में अग्रिम के रूप में 5,45,163.38 रू0 वसूली हेतु लम्बित है तथा अभिन्न के

लगातार-14

रूप में 8,77,959.37 रु० समायोजन हेतु लम्बित है । रोकड़ बही में शीर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार पाया गया :-

| क्र० | शीर्ष का नाम | अपवतन राशि |
|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | 6,050.00 |
| 2. | राष्ट्रीय मातृत्व अनुदान | 53.00 |
| 3. | 2515-101-पंचायत | 29,330.31 |
| 4. | 2401-कृषि | 3,817.46 |
| 5. | सुनिश्चित रोजगार योजना | 17,63,892.75 |
| 6. | इन्दिरा आवास योजना | 17,73,495.73 |
| 7. | 2225-कल्याण | 10,56,679.96 |
| 8. | 2235-सामाजिक सुरक्षा (केन्द्र) | 24,725.00 |
| 9. | 2235-सामाजिक सुरक्षा (राज्य) | 70,030.68 |
| 10. | 2202-शिक्षा | 01,90,863.32 |
| 11. | 2053-जिला प्रशासन | 02,39,439.86 |
| 12. | इन्दिरा आवास (अपग्रेडेशन) | 16,57,000.00 |
| 13. | 2515-102-सामान्य | 74,893.69 |
| 14. | 2065-जनगणना | 13,055.00 |
| 15. | विविध | 08,57,579.99 |
| 16. | 15-प्रतिशत-जवाहर रोजगार योजना | 04,30,591.85 |
| 17. | 20-प्रतिशत-जवाहर रोजगार योजना | 06,92,319.79 |
| 18. | जवाहर ग्राम समृद्धि योजना | 02,73,000.00 |
| 19. | 2015-निर्वाचन | 29,103.60 |

लगातार-15

| क्र० | शीर्ष का नाम | अवशेष राशि |
|---|---|---|
| 20. | डी०आर०डी०ए० | 2,10,414.00 |
| 21. | ट्राइसेम | 29,515.85 |
| 22. | 2515 सी०डी०ओ० | 22,264.48 |
| | | कुल:- 94,48,393.82 |

रोकड़ बही के अनुसार राशि का विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| (1) विभिन्न बैंकों में जमा राशि- | 79,76,529.11 |
| (2) अभिश्रव के रूप में- | 8,77,959.37 |
| (3) अग्रिम के रूप में- | 5,45,163.38 |
| (4) सिंगल लॉक में- | 48,742.06 |
| | कुल :- 94,48,393.92 |

रोकड़ बही में विभिन्न शीर्षों में दर्शायी गई राशि कुल 94,48,393.82 है जबकि रोकड़ बही में राशि का विस्तृत विवरणी के रूप में 94,48,393.92 दर्शायी गई है । इस प्रकार कुल 10 पैसे के अन्तर परिलक्षित हो रहा है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस सम्बन्ध में छानबीन कर कारण स्पष्ट करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ।

रोकड़ बही के अवलोकन से पता चलता है कि शीर्ष 2515 में 29,330/-रुपये काफी दिनों से पड़ा हुआ है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसकी छानबीन कर पता करेंगे कि यह राशि कैसी है तथा इसका उपयोग है अथवा नहीं । तदनुसार एक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे । इसी प्रकार डी०आर०डी०ए० नामक शीर्ष में 2,20,417.00 रुपये की राशि पड़ी हुई है । इस राशि के सम्बन्ध में छानबीन कर राशि जमा करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार निर्वाचन मद में 29,000/- रु० अवशेष बचा हुआ है । इस राशि को जिला कार्यालय को वापस करना सुनिश्चित करेंगे ।

विभिन्न बैंकों में जमा राशि का बैंकवार ब्यौरा निम्नप्रकार है :-

| क्र० | बैंक का नाम | खाता संख्या | जमा राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | बैंक ऑफ इंडिया, तोपचांची | 7381 | 3,62,599.00 |

लगातार-16

| क्र0 | बैंक का नाम | खाता संख्या | जमा राशि |
|---|---|---|---|
| 2. | बैंक ऑफ इंडिया, तोपचाँची | 7319 | 18,93,272.87 |
| 3. | - वही - | 7320 | 18,59,066.75 |
| 4. | बैंक ऑफ इंडिया, तोपचांची | 5590 | 3,77,650.90 |
| 5. | - वही - | 7939 | 2,73,000.00 |
| 6. | - वही - | चालू।करेन्ट। | 6,178.89 |
| 7. | सी0सी0बैंक, तोपचाँची | 2029 | 2,96,579.70 |
| 8. | - वही - | 3070 | 1,879.00 |
| 9. | - वही - | चालू।करेन्ट। | 7,516.00 |
| 10. | इलाहाबाद बैंक, हरिहरपुर | 2060 | 4,52,749.85 |
| 11. | - वही - | 2059 | 6,95,657.79 |
| 12. | - वही - | चालू।करेन्ट। | 2,89,207.36 |
| 13. | इलाहाबाद बैंक, रोआम | 2459 | 2,19,057.00 |
| 14. | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्राह्मणडीहा | 2055 | 12,53,417.00 |
| 15. | बैंक ऑफ इंडिया, गोमो | चालू | 44,697.00 |
| | | कुल:- | 79,76,529.11 |

**।17। अग्रिम पंजी :**

अग्रिम पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि अग्रिम के रूप में 5,45,163.38 रूपये वसूली हेतु लम्बित है । निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि श्री बोधन राम घाती, के0 जी0 एस0 को 2,82,695/- रू0 का अग्रिम के रूप में राशि दी गई परन्तु उसकी वसूली अभीतक नहीं हो पायी है । यह एक चिन्तनीय विषय है । श्री घाती को बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा अग्रिम की राशि ली गई है परन्तु उसे जमा नहीं किया गया है । उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि सम्पूर्ण राशि तीन दिनों के अन्दर जमा कर दिया जायगा । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता

लगातार-17

है कि श्री घाती से राशि वसूलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । अगर निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय क्योंकि यह अस्थाई गबन का मामला बनता है ।

इसी क्रम में यह पाया गया कि श्री काली चरण रवानी, सेवा निवृत पंचायत सेवक के पास 13,690.00 रुपये का अग्रिम वसूली हेतु लम्बित है जिसकी वसूली की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है । यह खेदजनक स्थिति है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि श्री रवानी के भविष्य निधि में जमा राशि का भुगतान अभी नहीं किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे श्री रवानी के भविष्य निधि की राशि से अग्रिम राशि 16,690/- रु0 एक मुश्त कटौती करने के बाद ही उन्हें अवशेष राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे । यह प्रखण्ड विकास पदा0/ प्रधान सहायक/नाजिर की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी । इस सम्बन्ध में अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

मो0 खालिद परवेज, कनीय अभियन्ता सम्प्रति निरसा प्रखण्ड में पदस्थापित, के पास 10,000/- रु0 की राशि अग्रिम के रूप वसूली हेतु लम्बित है । जिला अभियन्ता, जिला परिषद एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, निरसा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री खालिद परवेज, कनीय अभियन्ता के वेतन से एक मुश्त राशि की कटौती करते हुए कटौती राशि को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोपचाँची को भेजने की अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और इसका अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को निश्चित तौर पर उपलब्ध करायेंगे ।

इसी प्रकार श्री गोपाल चन्द्र गोप, पंचायत सेवक के पास अग्रिम के रूप में 2000/-रु0 राशि वसूली हेतु लम्बित है । प्रखण्ड विकास पदा0 द्वारा इतनी छोटी राशि वसूलने की दिशा में कोई अभिरूचि नहीं दिखाई है, जो चिन्ता का विषय है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राशि वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । इस क्रम में वे छानबीन कर यह पता कर लेंगे कि वर्त्तमान में वे किस प्रखण्ड में पदस्थापित हैं तथा तदनुसार सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपने स्तर से पत्र लिखकर उनके वेतन से एक मुश्त राशि कटौती करने हेतु अनुरोध करेंगे ताकि राशि की वसूली उनसे हो सके । इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ।

निरीक्षण के क्रम में एक आश्चर्य जनक पहलू देखने को यह भी मिला कि इस प्रखण्ड में पदस्थापित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी श्री अजय कुमार सिंह के पास अग्रिम के रूप में 20,000/- रु0 की राशि वसूली हेतु लम्बित है । परन्तु वसूली की दिशा में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाना उनकी उदासीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । इतना ही नहीं, यह भी जानकारी उपलब्ध कराई गई कि अनधिकृत रूप से बिना सूचना के प्रखण्ड से अनुपस्थित हैं । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उनके विरुद्ध अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय ।

लगातार-18

इसी प्रकार श्री नरेश मिश्रा, प्रसार पदाधिकारी के पास 34,635/- रु0, श्री दशरथ प्रसाद सिंह, पंचायत सेवक के पास 3,000/- रु0, श्री वकील मुर्मू, सहायक के पास 5000/- रु0, मो0 अजीम उद्दीन, उर्दू अनुवाद के पास 3500/- रु0, श्री गंगाधर प्रमाणिक, जीप चालक के पास 1000/- रु0, श्री कमल किशोर शर्मा, सहायक के पास 7833/- रु0 वसूली हेतु लम्बित है। यह अस्थाई गबन का मामला बनता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इसके वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया जाना इस बात का प्रमाण है कि वे अपने-आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इन कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अग्रसर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को निश्चित तौर पर उपलब्ध कराया जाय।

अग्रिम पंजी के अवलोकन के क्रम में एक मामले और प्रकाश में आये कि श्री रविन्द्र प्रसाद, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पास एक लाख रु0 अग्रिम के रूप में वसूली हेतु लम्बित है। यह भी अस्थाई गबन का मामला बनता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

**।18। अभिश्रव :**

इस प्रखण्ड में अभिश्रव के रूप में 8,77,959.37 की राशि सामंजन हेतु लम्बित है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसका मदवार वर्गीकरण कर 15 दिनों के अन्दर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ताकि इसके सामंजन हेतु सरकार से आवंटन प्राप्त किया जा सके। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि किस मद में कितनी राशि खर्च की गई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करेंगे।

**।19। राजकीय वृद्धावस्था पेंशन :**

राजकीय वृद्धावस्था पेंशन मद में इस प्रखण्ड को कुल 4,49,400.00 रु0 की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से माह मार्च, 2000 तक पेंशन की राशि का वितरण सभी पेंशनधारियों के बीच कर दिया गया है। वर्तमान में 6,350/- रु0 की राशि अवशेष बची हुई है।

**।20। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन :**

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मद में इस प्रखण्ड को कुल 2,10,300/- रु0 की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से माह मई, 2000 तक 1,84,675/- रु0 का वितरण पेंशनधारियों के बीच कर दिया गया है। वर्तमान में इस मद में कुल 25,695/रु0 अवशेष बची हुई है। इससे सम्बन्धित पंजी के क्रम में पाया गया कि पंजी पंचायतवार नहीं बनाया गया है तथा इसका विधिवत नहीं किया गया है। इस क्रम में यह भी पाया गया कि लेदाटांड पंचायत का पंजी

लगातार- 19

प्रमाणित नहीं है । बंजी के अवलोकन के क्रम में यह भी पाया गया कि बंजी में प्रत्येक लाभान्वितों के लिए दो-दो पन्ने कार्यान्वित किये गये है जो कम है । क्योंकि उसके भर जाने के बाद दूसरी बंजी खोलने की प्रक्रिया अपनायी गई है । यह प्रक्रिया ठीक नहीं कहा जा सकता है । कार्यालय में मात्र 10 बंजी उपलब्ध पाया गया। शेष बंजी के बारे में जानकारी दी गई कि सभी पंचायत सेवक के पास है । पंचायत सेवक के पास कार्यालय का बंजी रहना स्वस्थ परम्परा नहीं है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी बंजियों को मंगवाकर अपने सामने उसमें इन्दराज कराना सुनिश्चित करें ।

निरीक्षण के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि रिक्त स्थानों के लिए 900 आवेदन पत्रों को सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के पास भेजी गई जिसमें से 150 पत्र स्वीकृति के उपरान्त प्राप्त हुआ है ।

1211 बालिका समृद्धि योजना :

प्रखण्ड द्वारा प्राप्त 55,500/-रू0 का आवंटन का वितरण कर दिया गया है । वर्त्तमान में इस मद में कोई राशि अवशेष नहीं है ।

1221 मातृत्व अनुदान :

प्रखण्ड द्वारा प्राप्त आवंटन 1,31,500/- का वितरण करने के उपरान्त अवशेष के रू0 में 53/- रू0 की राशि बची हुई है ।

1231 छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता :

इस प्रखण्ड में इस मद में प्राप्त राशि 2,56,877/-रू0 का वितरण लाभान्वितों के बीच करने के उपरान्त 1,42,500/- रू0 अवशेष के रूप बची हुई है ।

1241 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति :

इस प्रखण्ड को इस मद में वर्ग 1 से 6 तक के छात्र/छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति वितरण हेतु 3,23,096/- रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध 2,94,908/- रू0 का वितरण कर दिया गया है । वर्त्तमान में 28,188/- रू0 अवशेष राशि बची हुई है । इसी प्रकार वर्ग-7 से वर्ग-10 के छात्र/छात्राओंके लिए प्राप्त आवंटन 1,80,282/-रू0 के वितरण के उपरान्त 47,029/- रू0 अवशेष के रूप में बचा हुआ है ।

निरीक्षण के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि के0जी0एस0 श्री बोधन राम घासी के पास छात्रवृत्ति मद की राशि 2,82,695/- रू0 अग्रिम के रूप में बकाया है । उल्लेखनीय है यह राशि उन्हें छात्र/छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति वितरण हेतु बतौर अग्रिम दिया गया था । यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जब 2,82,695/- रू0 का अग्रिम इनके पास बकाया है तो किस प्रकार इस राशि को छात्रवृत्ति के रूप में वितरण किया गया । इस सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी छानबीन कर एक स्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ।

इस क्रम में छात्रवृत्ति बंजी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि सारे लोगों का भुगतान नहीं हुआ है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से टीम गठित करते हुए प्रत्येक विद्यालय में राशि भेजकर छात्र/छात्राओं के बीच राशि का वितरण सुनिश्चित करावें तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को निश्चित तौर पर उपलब्ध कराई जाय ।

लगातार-20

1251 सुनिश्चित रोजगार योजना :

इस प्रखण्ड में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत कुल 17 योजनाएँ क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें से एक योजना पूर्ण है । शेष 16 योजनाएँ में कार्य चल रहा है । निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये विवरणी के अवलोकन के क्रम में यह पाया गया कि योजना संख्या-65/95-96 के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं है । क्योंकि इसमें यह अंकित ही नहीं किया गया है कि इस योजना के प्राक्कलित राशि के विरुद्ध अभिकर्त्ता को कितने राशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया गया है तथा कितनी राशि अभिकर्त्ता के पास अवशेष पड़ी हुई है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार करवाना चाहिए । यह अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है ।

इसी क्रम में अभिलेख संख्या-4/99-2000 का अवलोकन किया गया । यह योजना सी0सी0रो0 पथ निर्माण की है जिसके तहत कैलाश साव के घर से काली मुंडा राम मंडल के घर तक सी0सी0रो0 पथ निर्माण किया जाना है । इस योजना की प्राक्कलित राशि 7,12,000.00 रू0 है । इस योजना में केवल 2 लाख रूपये कैरेज खर्च के रूप में दिखाया गया है जो अविश्वसनीय है । तोपचाँची प्रखण्ड चारो ओर पहाड़ से घिरा हुआ है । स्पष्टतः यहाँ पत्थर हर जगह उपलब्ध है । जानकारी के क्रम में यह भी बताया गया कि इस प्रखण्ड में 6 क्रशर मशीन भी है, इसके बावजूद भी 20 कि0मी0 की दूरी से पत्थर लाने का प्राक्कलन बनाया गया है, अतः इसकी जाँच की आवश्यकता है ।

1261 इन्दिरा आवास योजना :

इस प्रखण्ड में इस योजना के तहत इंदिरा आवास(सामान्य) का लक्ष्य 250 निर्धारित है तथा कच्चा इंदिरा आवास का लक्ष्य 120 निर्धारित है । इस क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 250 इंदिरा आवास(सामान्य) लक्ष्य के अनुरूप कार्यान्वयन कराया जा रहा है । जहाँतक कच्चा इंदिरा आवास के क्रियान्वयन की बात है, इस सम्बन्ध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस सम्बन्ध में लाभान्वितों की सूची चयन कर तैयार कर ली गई जिसे स्वीकृति हेतु जिला को भेजा जा रहा है । इस मद में वर्ष 2000-2001 में 83.65 लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध है ।

1271 20 प्रतिशत अभिकरण की योजना :

इस मद में 6.95 लाख रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसमें से व्यय करने के उपरान्त 6.92 लाख रूपये अवशेष बचा हुआ है ।

1281 15 प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना :

इस मद में कुल 4.30 लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध है परन्तु अभी इसका व्यय नहीं किया गया है ।

लगातार-21

129। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्टूट की राशि :

इस मद में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में एक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके विरुद्ध 57,500/- रु0 का व्यय किया गया है। वर्तमान में इस मद में 2.73 लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध है।

130। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (योजना)। :

इस मद में 1.4.2000 को कुल 89 योजना लम्बित थी। वर्ष 2000-2001 में 29 योजनाएँ ली गई है। कुल 112 योजनाएँ में से 41 योजनाएँ पूर्ण हो गई है तथा 71 योजनाएँ अभी भी अपूर्ण है। इस मद में कुल 12.67 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध 9.94 लाख रुपये व्यय किये जाने के उपरान्त 2.72 लाख रुपये अवशेष के रूप में बची हुई है।

131। सामान्य :

इस कार्यालय का कार्य सन्तोषप्रद नहीं है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण का अभाव पाया गया। कार्यालय में पत्राचार पर अपेक्षित नियंत्रण का भी कमी पाई गई। कार्यालय में पंजियों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अग्रिम देने के मामले में मितव्ययता नहीं बरती जा रही है। कार्यालय में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नियमित ढंग से समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कार्यशैली को अपनाये तो कार्यालय के कार्यों में अपेक्षित सुधार होने की सम्भावना है।

उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक- 3826 /गो0, धनबाद, दिनांक- 17/8/2000

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद/ स्थापना उप समाहर्त्ता, धनबाद/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोपचांची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

17.8.2000
उपायुक्त, धनबाद